

**जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ( आर.ई )

क्र.जे.पी.डी/मु.अ.(पवस)/अ.अ.(आर.ई.)/प.1201/प्रे 1921 दिनांक 24/3/2011

आदेश

विषय :- वर्ष 2011-12 में कृषि कनेक्शन जारी करने के काम में।

राज्य सरकार ने अपने पत्रांक एफ 12(6) उर्जा/04 दि. 09.03.11 के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण 2011-2012 में की गई घोषणानुसार वर्ष 2011-2012 में 65 हजार कृषि कनेक्शन जारी करने व 1 जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक कृषि हेतु प्राप्त लम्बित प्रार्थना पत्रों के मांग पत्र वर्ष 2011-2012 में दो चरणों में (50 प्रतिशत हर चरण में) जारी करने हेतु निर्देश दिये हैं।

उक्त संदर्भ में डिस्कॉम कोरडिनेशन फोरम की बैठक दिनांक 17 व 22 मार्च को चर्चा हुई। वितरण निगमों में उपलब्ध सीमित मानव शक्ति, संसाधनो और सामान की उपलब्धता देखते हुए वर्ष 2011-2012 में कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के मांग पत्र निम्नानुसार दो चरणों में जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।

1. प्रथम चरण में दिनांक 1.01.2008 से 30.9.2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग पत्र 15 अप्रैल 2011 से 15 अगस्त 2011 के बीच निम्न प्रकार से जारी किये जायेंगे।

- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| (I) 25 प्रतिशत   | 16 अप्रैल 2011 से 15 मई, 2011 तक  |
| (II) 25 प्रतिशत  | 16 मई 2011 से 15 जून, 2011 तक     |
| (III) 25 प्रतिशत | 16 जून 2011 से 15 जुलाई 2011 तक   |
| (IV) 25 प्रतिशत  | 16 जुलाई 2011 से 15 अगस्त 2011 तक |

2. द्वितीय चरण में 1.10.2008 से 31.12.2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग पत्र 15 सितम्बर 2011 से 15 जनवरी 2012 के बीच निम्नप्रकार जारी किये जायेंगे।

- |                  |  |
|------------------|--|
| (I) 25 प्रतिशत   | 16 सितम्बर 2011 से 15 अक्टूबर, 2011 तक |
| (II) 25 प्रतिशत  | 16 अक्टूबर 2011 से 15 नवम्बर, 2011 तक  |
| (III) 25 प्रतिशत | 16 नवम्बर 2011 से 15 दिसम्बर, 2011 तक  |
| (IV) 25 प्रतिशत  | 16 दिसम्बर 2011 से 15 जनवरी, 2012 तक   |

✓


(3) समस्त अनुसूचितजाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार कृषि क्रनेक्शन देय है, के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किये जायेगे -

(i) 31.03.11 तक प्राप्त सभी आवेदनो के - 16 अप्रैल से 15 मई, 2011 के मध्य

(ii) 1.04.11 से 31.08.11 तक प्राप्त आवेदन के - 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर, 2011 के मध्य


अन्य शर्तें व नियम निगम से पूर्व में जारी आदेश क्र. 2747 दि. 20.03.2009 (आर.ई.ओ-205) के अनुरूप ही रहेंगे।

उपरोक्त आदेश तीनों वितरण निगमों पर लागू होंगे।

  
(ए. व. सुता)  
मुख्य अभियंता (पवस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जोधपुर को उक्त प्रकार के आदेश जारी करने हेतु।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।
- 5-प्रावेधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।
- 6-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/प्लान/विधि) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
- 8-प्रावेधिक सहायक, राज्य मंत्री, उर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
- 9-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, (राम बाग सर्किल) जयपुर।
- 10-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।
- 11-सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय जयपुर।
- 12-अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि।
- 13-विशिष्ट सहायक, सलाहकार (एम), मुख्य मंत्री, सचिवालय, राज0 सरकार, जयपुर।
- 14-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।
- 15-निजी सचिव, मा0 उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को मा0 उर्जा मंत्री के सूचनार्थ।
- 16-निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि, जयपुर को मा0 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।
- 17-निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।
- 18-कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि./राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि, जयपुर।
- 19-इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।

  
मुख्य अभियंता (पवस)